न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1292/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	215/2025
अंतर्गत धारा	:	305(C),317(2) भारतीय न्याय संहिता
पुलिस थाना	:	जीआरपी कोटा

विरेन्द्र सुमन पुत्र छोटूलाल सुमन, निवासी किराये का मकान नम्बर ए-487, तलवण्डी, कोटा पुलिस थाना जवाहर नगर,जिला कोटा ---प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा ---विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश गुर्जर, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से,
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से।

आदेश दिनांकः 04.6.2026

प्रार्थी अभियुक्त विरेन्द्र सुमन की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उसके अधिवक्ता ने दिनांक 03.6.2026 को पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसका उक्त प्रकरण से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को रंजिशवश झूठे प्रकरण के तहत फंसाया गया है। प्रार्थी केवल मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। परिवार में अकेला कमाने वाला है एवं प्रार्थी का पूरा परिवार प्रार्थी के ऊपर ही आश्रित है यदि प्रार्थी को अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तो उसके परिवार को भूखों मरने की नोबत आ जावेगी। प्रार्थी से समस्त बरामदगी हो चुकी है एवं पुलिस को अब प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी करना शेष नहीं है।

Authenticated Document

प्रार्थी अभियुक्त कोटा जिले का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में समय लगना बताते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 05.8.2026 को परिवादी ताराराम की एक बिना नंबरी एफआईआर नं. 17/2025, धारा 302(2) BNS दिनांक 27.01.2025 जीआरपी अजमेर की किताशुदा मार्फत पुलिस अधीक्षक, जीआरपी अजमेर के आदेश क्रमांक 4301-02 दिनांक 04.04.2025 के जरिये डाक थाना हाजा पर इस आशय की प्राप्त हुई कि दिनांक 23.01.2025 को उसकी पत्नी सुशीला देवी के ट्रेन नम्बर 12967 चैन्नई जयपुर एक्सप्रेस के कोच नं. एस-2 में चैन्नई से जयपुर के लिए यात्रा के दौरान उसका हैण्ड बैग गायब मिला जिसमें 1 मोबाईल वीवों कंपनी, दस हजार रूपये नकद व सोने की 4 ग्राम की इयर रिंग थी.....इत्यादि, इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-215/2025 दर्ज की गयी जो अपराध अन्तर्गत धारा 305(C), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के आपराधिक प्रकरणों का कोई इतिहास नहीं रहा है।

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धी नहीं है। पत्रावली पर यह आया है कि प्रार्थी अभियुक्त ने प्रकरण में बरामदशुदा मोबाईल एक अन्जान व्यक्ति से 2000/-रूपये में खरीद किया था जो उसने कैशीफाई कम्पनी को 11750/-में विक्रय कर दिया था। जिसे बरामद कर लिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 31.5.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 305(सी) भारतीय न्याय संहिता एवं विकल्प में धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी अभियुक्त से कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात्

विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मत में इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त विरेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि चालीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि बीस-बीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

8. इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No. 4/2021 In Re Policy Strategy for grant of Bail & SLP(Cri.) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह कोटा को जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(सत्यनारायण व्यास)

आदेश आज दिनांक 04.6.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

OM PRAKASH KHANDELWAL

Digitally signed by OM PRAKASH KHANDELWAL
Date: 2026.06.04 13:01:17 +0530

Authenticated Document